FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

भिखाराम बजौरा बनाम भैराराम बजौरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 266/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.8.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवाधाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/9/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
11/09/19	अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर प्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो। पुनः विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

15/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत मौका मौके आये हुए हैं प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी मेडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में बारिशों की वजह से बिखर गये हैं। इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सही सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है इस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। तथा विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेतों में वर्जित होने पर जबरदस्ती काश्त कर लेते हैं। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की पत्थर-बन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थर-बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर ~~आदेश दिया जाता है कि~~ तहसीलदार [illegible] को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पत्थरबन्दी मौके पर कमिशन शुल्क रुपये 500/- जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO)
[illegible]

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 814 दिनांकः– 18/10/2019

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

निम्बाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट
निवासी टांकेलियासरा

भैराराम पुत्र हुकमाराम वगैरा
निवासी धतरवालों का सरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 266/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा टांकेलियासरा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 474/266, 477/266 क्रमशः रकबा 24.12, 16.10 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 815–19 दिनांकः– 18/10/2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री निम्बाराम पुत्र सोनाराम
4. विप्रार्थीगण भैराराम पुत्र हुकमाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु